अध्याय – 4

हमारी वित्तीय संस्थाएँ

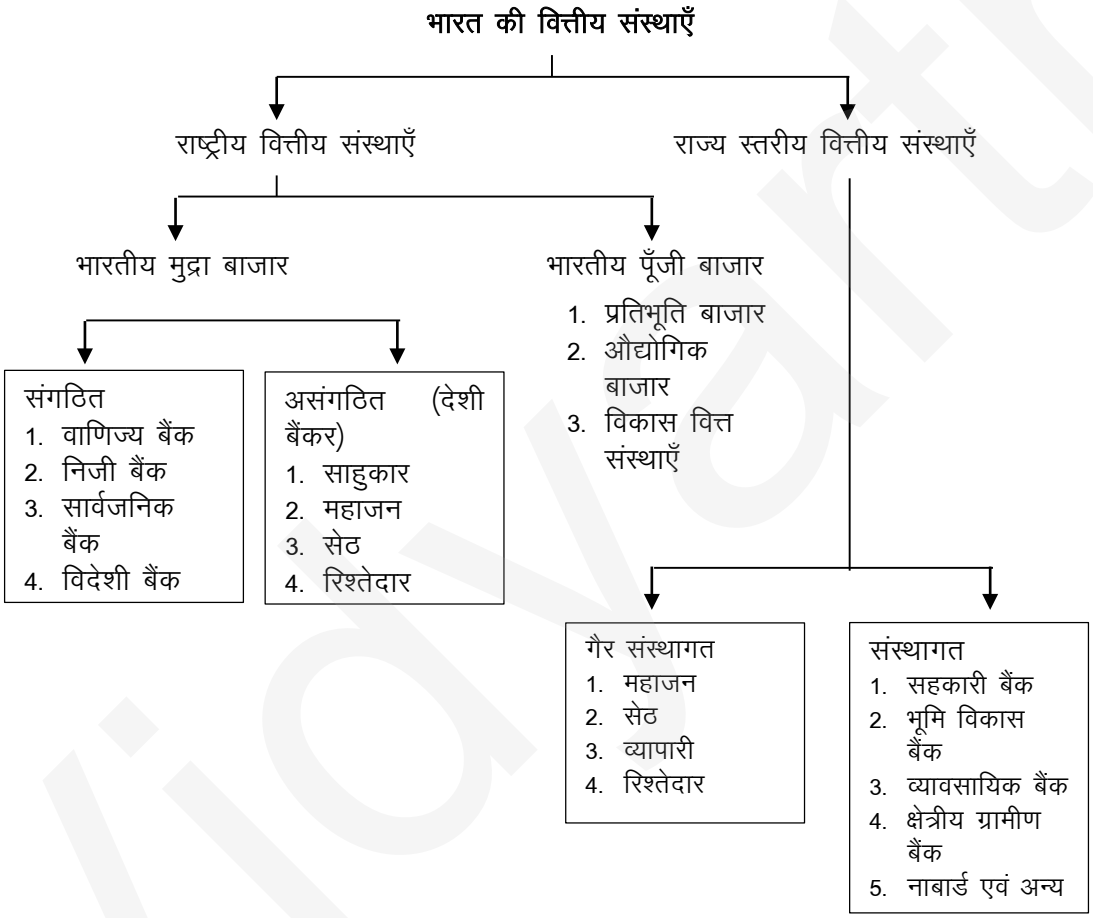

वित्तीय संस्थाएँ (Financial Institutions) :

- वित्त से अभिप्राय कार्य को चलाने के लिए आवश्यक पूँजी से है।
- उत्पादन में पूँजी की आवश्यकता दिन–प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए, पूँजीगत वस्तुएँ खरीदने के लिए, मजदूरों को वेतन देने के लिए एवं कच्चा माल खरीदने के लिए होती है।
- वित्त की इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्थाएँ वित्तीय संस्थाएँ कहलाती हैं।

https://www.evidyarthi.in/

राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ (National Financial Institutions) :

ऐसी वित्तीय संस्थाएँ जो राष्ट्रीय स्तर पर वित्त का प्रबन्ध करती हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ कहलाती हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं :

1. **भारतीय मुद्रा बाजार (Indian Money Market)**
    - ऐसा मौद्रिक बाजार जहाँ उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्त की व्यवस्था की जाती है।
    - भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
    - संगठित क्षेत्र में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), वाणिज्य बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं विदेशी बैंक आते हैं।
    - असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत देशी बैंकर आते हैं। उन्हें देश के विभिन्न भागों में साहूकार, महाजन, सेठ, सर्राफ इत्यादि कई नामों से पुकारा जाता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) : यह देश का केन्द्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ई0 को हुई थी।

- यह देश की सम्पूर्ण बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण करता है।
- व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जनता की बचत को जमा के रूप में स्वीकार करना तथा उद्योग एवं व्यवसाय को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करना है।
- हमारी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग के महत्त्व को देखते हुए सरकार ने 1969 ई0 में देश के प्रमुख व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिसका अर्थ यह है कि बैंक अब सरकार के नियंत्रण में काम करेगी।
- इसका मुख्य उद्धेश्य समाज के पिछड़े वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना था।

निजी क्षेत्र के बैंक (Private Sector Bank) :

कुछ ऐसे भी वाणिज्य बैंक हैं जो निजी क्षेत्र में है। ऐसे बैंक जिनके नाम के अन्त में सीमित दायित्व (Ltd.) जुड़ा होता है, वे निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (Public Sector Bank)

- ऐसे बैंक जिनका 50% से अधिक हिस्सा (share) सरकार रखती है उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं।
- वर्त्तमान समय में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 27 बैंक हैं। जिसमें 19 राष्ट्रीयकृत बैंक, 6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और इससे सम्बद्धता प्राप्त बैंक और 2 बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) एवं भारतीय महिला बैंक हैं।

https://www.evidyarthi.in/

विदेशी बैंक (Foreign Bank) :

एक प्रकार का विदेशी बैंक जो अपना एवं मेजबान देशों के नियमन का पालन करता है।

असंगठित क्षेत्र :

- भारत में ग्रामीण साख का एक बड़ा भाग अभी भी देशी बैंकरों से लिया जाता है।
- व्यावसायिक बैंक तथा सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण परिवारों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का लगभग आधा भाग ही पूरा कर पाती हैं।
- इसकी शेष आवश्यकताएँ साहुकार, महाजन, सेठ, सर्राफ से पूरी होती हैं।
- ये ग्रामीण परिवारों को ब्याज की ऊँची दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं, तथा कई प्रकार से उनका शोषण करते हैं।

2. भारतीय पूँजी बाजार (Indian Capital Market) :

भारतीय पूँजी बाजार में उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन (5 वर्ष से अधिक की अवधि तक) वित्त की व्यवस्था की जाती है।
भारतीय पूँजी बाजार मूलतः तीन वित्तीय संस्थानों पर आधारित हैं :–

1. **प्रतिभूति बाजार :** प्रतिभूति बाजार को प्राथमिक बाजार भी कहते हैं। इसका सम्बन्ध कम्पनियों के नए हिस्सों (Shares) को जारी करना है।
2. **औद्योगिक बाजार :** औद्योगिक बाजार को द्वितीयक बाजार भी कहा जाता है, तथा इसे स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) अथवा शेयर बाजार (Share Mareket) भी कहतेहैं। इस बाजार में संयुक्त पूँजी कम्पनी के वर्त्तमान हिस्सों (Shares) और ऋणपत्रों (Bonds or Debentures) का क्रय–विक्रय होता है।
3. **विकास वित्त संस्थाएँ :**
    - कृषि उद्योग के दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए भारत सरकार की सहायता से देश में कई विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की भी स्थापना हुई है।
    - कृषि साख की दृष्टि से इनमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD) सबसे प्रमुख हैं।
    - उद्योग एवं व्यापार को दीर्घकालीन साख प्रदान करनेवाली संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम इत्यादि महत्वपूर्ण हैं।
    - वित्तीय संस्थाएँ किसी भी देश का मेरूदण्ड (Back bone) माना जाता है।
    - मुम्बई देश की वित्तीय गतिविधियों का केन्द्र है तथा यहाँ का पूँजी बाजार एक अत्यन्त सुसंगठित बाजार है। यही कारण है कि यह शहर भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से विख्यात है।
    - मुम्बई का शेयर बाजार दलाल स्ट्रीट (Dalal Street) में स्थित है, जिसके माध्यम से पूँजी बाजार का संचालन होता है।

https://www.evidyarthi.in/

राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएँ

बिहार में कार्यरत वित्तीय संस्थाओं को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है।

गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएँ

- इसमें महाजन, भू–स्वामी, व्यापारी, दोस्त, रिश्तेदार इत्यादि शामिल हैं, जो साख के परम्परागत स्त्रोत हैं। इनसे ऋण प्राप्त करना सबसे सरल है।
- ग्रामीण लोग उत्पादन तथा अन्य कार्यों के लिए ऋण लेते हैं और इसके लिए ब्याज की ऊँची दर का भुगतान करना पड़ता है।
- इन संस्थाओं पर सरकार कोई प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं है।

संस्थागत वित्तीय संस्थाएँ

1. **सहकारी बैंक (Co-operative Bank) :**
   बिहार राज्य में सहकारी बैंक द्वारा सहकारी साख व्यवस्था तीन स्तरीय है।
   A. **प्राथमिक कृषि सरकारी साख समितियाँ (Primary Agriculture Co-perative Credit Societies) :** इसमें किसी गाँव के कम से कम दस व्यक्ति मिलकर एक समिति का निर्माण करते हैं।
   जो कृषि के क्षेत्र में अल्पकालीन ऋण (एक वर्ष) उपलब्ध कराते हैं। विशेष परिस्थिति में इनकी अवधि तीन वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।
   B. **केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Bank) :** यह जिला स्तर का बैंक है, जो प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को समर्थन देती है।
   C. **राज्य सहकारी बैंक (State Cooperative Bank) :** यह राज्य स्तर का बैंक है, जो केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऊपर होते हैं।
   RBI सर्वप्रथम पैसा राज्य सहकारी बैंकों को देता है। राज्य सहकारी बैंक पैसा केन्द्रीय सहकारी बैंक को और केन्द्रीय सहकारी बैंक पैसा प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति को देता है। PACCS किसानों को ऋण देती है।

2. **भूमि विकास बैंक (Land Developmet Bank) :**
   - इस बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 1929 ई0 में की गई।
   - यह बैंक किसान की दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता को पूरा करता है।
   - यह बैंक किसान के भूमि को बंधक रखकर कृषि में स्थायी सुधार एवं विकास के लिए ऋण देता है।
   - ऋण उचित ब्याज दर पर 15–20 वर्षों के लिए दिया जाता है।
   - इनमें दो स्तर के बैंक होते हैं –
   - प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं।
   - राज्य स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक है।

https://www.evidyarthi.in/

3. **व्यावसायिक बैंक (Commercial Bank):**
    - 1969 ई0 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद कृषि के क्षेत्र में ऋण की मात्रा बढ़ी है।
    - यह बैंक विभिन्न अवधियों के लिए ऋण देती है।
    - अधिकतर ऋण अल्पकालीन होते हैं। इसके अतिरिक्त पम्पसेट, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, कृषि मशीनरी, पशु, हल खरीदने, कुंओं के निर्माण, भूमि सुधार आदि के लिए मध्यकालीन ऋण भी देते हैं।

4. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank) :**
    - इस बैंक की स्थापना 1975 ई0 में की गई।
    - इसका उद्धेश्य छोटे व सीमान्त किसानों, कारीगरों व छोटे उद्यमकर्त्ता को ऋण तथा जमा सुविधाएँ दिलवाना है।
    - प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है।
    - भारत के 23 राज्यों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं।

5. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development) :**
    - इस बैंक की स्थापना 1982 ई0 में की गई।
    - यह बैंक राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और RBI से मान्यता प्राप्त अन्य वित्तीय संस्थाओं को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण देता है।
    - यह कृषि कार्यों के अतिरिक्त इससे सम्बन्धित अन्य कार्यों के लिए भी ऋण देता है।
    - यह कृषि व ग्रामीण विकास में अनुसंधान (Research) को भी बढ़ाता है।

व्यावसायिक बैंकों के कार्य (Functions of Commercial Banks) :

किसी भी देश के आर्थिक विकास में व्यावसायिक बैंक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, जो निम्नलिखित हैं –

1. **जमा स्वीकार करना (Accepting Deposits)**
    - समाज के अधिकांश व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं। इस धन को सुरक्षा की दृष्टि से बैंकों के पास जमा कर देते हैं, जिसपर उन्हें ब्याज मिलता है।
    - व्यावसायिक बैंक प्रायः चार प्रकार के जमा राशि स्वीकार करते हैं।

    (i) स्थायी जमा (Fixed Deposits)

    - इस खाता में बैंक एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा करते हैं।

https://www.evidyarthi.in/

- सामान्यतः एक निश्चित अवधि के पूर्व इस खाते से रकम वापस नहीं ली जा सकती। इसलिए इसे सावधि जमा (time deposits) भी कहते हैं। ऐसी जमा परब्याज की दर ऊँची रहती है।

(ii) चालू जमा (Current Deposits)

- इस प्रकार के खाते में धन जमा करने या निकालने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहता।
- इसमें जमाकर्त्ता इच्छानुसार कभी भी रूपये जमा कर सकता है या निकाल सकता है। अतः चालू जमा को 'माँग जमा' (demand deposits) भी कहते हैं।

(iii) संचयी जमा (Saving deposits)

- इस प्रकार की जमा मुख्यतः मध्यमवर्ग की सुविधा के लिए होती है।
- इस खाते में रूपये जमा करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहता, लेकिन रूपये निकालने पर कुछ प्रतिबन्ध होता है। इस जमा पर ब्याज की दर स्थायी जमा से कम होती है।

(iv) आवर्त्ती जमा (Recurring Deposits)

- इस प्रकार के खाते में एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिमाह एक निश्चित रकम जमा की जाती है।
- इस अवधि के समाप्त होने के बाद यह रकम जमाकर्त्ता को ब्याज के साथ अदा कर दी जाती है।

2. ऋण प्रदान करना (Providing Loans)

ऋण या कर्ज देना व्यावसायिक बैंकों का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य है।

बैंक निम्नलिखित तरीकों द्वारा ऋण प्रदान करते हैं :–

(i) अभियाचित एवं अल्पकालिक ऋण (Loans at call and short notice)

इस प्रकार का ऋण अतिअल्पकाल यानि एक दिन से लेकर एक सप्ताह तक के लिए दिया जाता है।

(ii) अधिविकर्ष (Overdraft)

इसके अन्तर्गत बैंक अपने ग्राहकों को उनकी जमा राशि से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है।

जमा राशि से अधिक रकम निकालने पर बैंक को ब्याज देना पड़ता है।

(iii) नकद साख (Cash Credit)

जब व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों को माल आदि की जमानत पर ऋण देता है तो उसे नकद साख कहते है।

https://www.evidyarthi.in/

(iv) ऋण एवं अग्रिम (Loans and advances)

जब बैंक अपने ग्राहकों को उचित जमानत के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए ऋण देते हैं तो उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं।

इस प्रकार के ऋण आभूषण स्थायी जमा की रसीदों की जमानत पर लिए जा सकते हैं।

(v) विनिमय बिलों का भुगतान (Discounting of Bills of Exchange)

व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों को भुनाकर भी व्यापारियों को ऋण देते हैं।

3. एजेंसी सम्बन्धी कार्य (Agency Functions) :

व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए एजेंट का कार्य करता है, जो निम्नलिखित हैं–

(i) ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना (To receive payment for customers)

बैंक अपने ग्राहकों की ओर से ब्याज, लाभांश, किराया इत्यादि का भुगतान प्राप्त करते हैं। वे उनके चेक तथा अन्य बिलों को एकत्र कर उनके खाते में जमा कर देते हैं। इस कार्य के लिए वे ग्राहकों से कमीशन लेते हैं।

(ii) ग्राहकों की ओर से भुगतान करना (To make payment for customers)

बैंक ग्राहकों की ओर से बीमे की किस्त, कर, ऋण तथा ब्याज इत्यादि का भुगतान भी करते हैं।

(iii) प्रतिभूतियों का क्रय–विक्रय (Sale and Purchase of Securities)

व्यावसायिक बैंक ग्राहकों के आदेशानुसार प्रतिभूतियों, अंशपत्रों आदि का क्रय–विक्रय करते हैं।

(iv) प्रतिनिधि का कार्य (Agency Function)

बैंक अपने ग्राहकों के प्रतिनिधि होते हैं। वे उनकी सम्पत्ति की देखभाल, प्रबन्धन आदि का कार्य भी करते हैं।

4. सामान्य उपयोगिता सम्बन्धी कार्य (General Utility Functions) :

इसके अतिरिक्त व्यवसायिक बैंक अन्य बहुत से कार्यों को भी सम्पन्न करते हैं, जिन्हें सामान्य उपयोगिता सम्बन्धी कार्य कहा जाता है। ये निम्नलिखित हैं :–

(i) मुद्रा का स्थानांतरण (Transfer of Money)

बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए ड्राफ्ट (Draft) आदि के द्वारा मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं।

(ii) साख पत्र तथा यात्री चेक जारी करना (To issue letters of credit and travellers cheque)

- व्यावसायिक बैंक ग्राहकों के लिए साख प्रमाण पत्र (Letters of Credit) एवं यात्री चेक (Travellers cheque) जारी करते हैं।
- साख प्रमाण पत्र विदेशी व्यापार में सहायक होते हैं, तथा इनके आधार पर व्यापारियों को अपरिचित व्यक्तियों से भी उधार मिल जाता है।

https://www.evidyarthi.in/

- यात्री चेक द्वारा यात्रियों को नकद मुद्रा ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

(iii) बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षण (Safe custody of valuables)
बैंक अपने ग्राहकों की मूल्यवान वस्तुओं (आभूषण, दस्तावेज इत्यादि) को अपने यहाँ लॉकर में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं।

(iv) ए0टी0एम0 एवे क्रेडिट कार्ड सुविधा (ATM and Credit Card facility)
आधुनिक समय में शहरों में व्यावसायिक बैंक ए0 टी0 एम0 और क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

सहकारिता (Cooperation) :

- सहकारिता का अर्थ 'एक साथ मिलजुलकर कार्य करना' है।
- 'सहकारिता वह संगठन है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिल जुलकर कार्य करते है। ।
- इसमें व्यक्ति किसी आर्थिक उद्धेश्य की पूर्त्ति के लिए कार्य करते हैं।

मूलभूत तत्त्व :

इसके मुख्यतः तीन आधारभूत सिद्धान्त हैं :

1. लोग अपने इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते हैं।
2. इसके सदस्यों के बीच पूँजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सबको एक जैसे अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं।
3. यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही नहीं बल्कि पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्ति और समूह के सुख–समृद्धि को बढ़ाना है।

भारत में सहकारिता का विकास (Development of Co-operation in India) :

- भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 ई0 में सहकारी साख समिति अधिनियम (Cooperative Credit Societies Act) पारित होने के साथ हुआ।
- इसके अनुसार गाँव या नगर में कोई भी दस व्यक्ति मिलकर सहकारी साख समिति की स्थापना कर सकता है।
- इस अधिनियम का मुख्य दोष यह था कि इसमें गैर–साख समितियों के स्थापना के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
- 1912 ई0 में दूसरा अधिनियम पारित कर देश कें गैर–साख समितियों के गठन की अनुमति प्रदान की गई।
- सहकारिता की प्रगति के मूल्यांकन तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देने हेतु सरकार ने 1914 ई0 में मेक्लेगन समिति की नियुक्ति की।

https://www.evidyarthi.in/

- 1919 ई0 में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया। इसके संचालन का भार अब राज्य सरकारों के हाथ में आ गया।
- 1929–30 की मंदी का सहकारिता के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- 1937 ई0 में RBI के अधीन खोले गए कृषि साख विभाग (Agriculture Credit Department) का कार्य कृषि विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करना था।

राज्य के विकास में भूमिका (Role in the Development of the state) :

- बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है।
- यहाँ की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों निवास करती है।
- इसका एक बड़ा भाग निर्धनता (गरीबी) रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करता है।
- बिहार के कुटीर एवं लघु उद्योगों में सहकारिता की भूमिका महत्त्वपूर्ण है।
- इसके लिए राज्य स्तरीय सहकारी बैंक ऋण मुहैया कराती है।
- विगत वर्षों में बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पाद संघ (कॉम्फेड) दुग्ध उद्योग में बहुत सफल हुआ है।
- यह सहकारी संघ सुधा ब्रांड नाम से दूध और दुग्ध उत्पादों का विक्रय करती है।

स्वयं सहायता समूह (Self-Help Group)

- स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15–20 व्यक्तियों (खासकर महिलाओं) का एक समूह होता है।
- ये सदस्य नियमित रूप से बचत करते हैं। बचत से ही इनकी पूँजी का निर्माण होता है।
- सदस्य अपनी ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे–मोटे कर्ज इस स्वयं सहायता समूह से ही ले सकते है।
- यदि समूह नियमित रूप से बचत करता है तो एक–दो वर्ष बाद वह किसी बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है।
- बैंक समूह के नाम पर ऋण देता है तथा इसका उद्धेश्य स्वरोजगार में वृद्धि करना होता है।
- समूह द्वारा अपने सदस्यों की बंधक जमीन को छुड़ाने, बीज, खाद आदि आवश्यकताओं को पूरा करने, गृह निर्माण, सिलाई मशीन, पशु इत्यादि सम्पत्ति खरीदने के लिए छोटे–छोटे ऋण दिए जाते हैं।
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को दिए जाने वाले ऋण की रकम, ब्याज की दर, ऋण अदायगी की अवधि इत्यादि बातों का निर्माण समूह के द्वारा ही लिया जाता है।
- इन ऋणों को लौटाने का दायित्व भी समूह का होता है।

https://www.evidyarthi.in/

सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Finance Planning) :

- इस योजना के द्वारा गाँव, कस्बा और जिलो में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है।
- इस कार्यक्रम के द्वारा व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बेंक तथा सहकारी बैंकों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है।
- इसमें छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

https://www.evidyarthi.in/